प्रेस नोट
दिनांक 14.08.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, जनपद में गूँजे देशभक्ति के स्वर–

गोण्डा। राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने तथा आमजन में राष्ट्रप्रेम की चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2025 को राजपत्रित अधिकारीगण, जनपदीय पुलिस बल एवं रिक्रूट आरक्षियों द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा जनपद मुख्यालय स्थित अम्बेडकर चौराहा से विधिवत रूप से प्रारंभ हुई। यात्रा में सम्मिलित पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों ने हाथों में तिरंगा ध्वज थामकर अनुशासित पंक्तियों में गर्व एवं उल्लास के साथ मुख्य मार्गों पर मार्च किया। यात्रा गुरूनानक चौक होते हुए को0 नगर में आकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान नगरवासियों ने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों से राष्ट्रीय ध्वज लहराकर पुलिस बल का स्वागत किया और "भारत माता की जय", "वंदे मातरम" जैसे जोशीले नारों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा के उपरांत महोदय ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि ''स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को अपने–अपने घरों पर तिरंगा ध्वज अवश्य फहराना चाहिए। जब हम तिरंगा हाथ में लेकर चलते हैं, तो उस गौरव एवं आत्मसम्मान की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह ध्वज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय बलिदान, हमारे राष्ट्र की मूल आत्मा एवं देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की प्रेरणा का प्रतीक है। हर नागरिक को जब भी अवसर मिले, तिरंगा अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए, ताकि हमारे भीतर राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी एवं समर्पण की भावना सुदृढ़ हो।'' इस तिरंगा यात्रा ने जनपद में देशभक्ति का जोश एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश जन–जन तक पहुंचाया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्या, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश सिंह सहित जनपदीय पुलिस बल के अधिकारी/कर्मचारी गण, रिक्रूट आरक्षी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.08.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में खरगुपुर पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करों–01. सानू सिंह पुत्र चिनगुद सिंह, निवासी छिटनापुर थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा, 02. कुसाग्र मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा, निवासी कहला तेन्दुआ थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को झालीधाम मंदिर से कुछ दूरी पहले, रोड के किनारे खाली पड़े मकान के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 किलो 300 ग्रामा नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 14.08.2025 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 पंकज कुमार मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि झालीधाम मंदिर से कुछ दूरी पहले एक खाली मकान में रोशनी व संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर मौके पर जा कर चेक किया गया तो अभियुक्त सानू सिंह के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम व अभियुक्त कुसाग्र मिश्रा के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. सानू सिंह पुत्र चिनगुद सिंह, निवासी छिटनापुर थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
02. कुसाग्र मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा, निवासी कहला तेन्दुआ थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–187/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 पंकज कुमार।
02. हे0का0 आदित्यनाथ यादव।
03. का0 सुनील यादव।
04. का0 अमन सिंह।
05. का0 विजयशंकर राय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.08.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्या के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी निवासी मोहल्ला नई बाजार, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा को अहिरन पुरवा धनवा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13/14.08.2025 की रात्रि को थाना परसपुर के उ0नि0 अरविन्द कुमार मय हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। दौरान गश्त मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इमरान कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी निवासी मोहल्ला नई बाजार, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा को अहिरन पुरवा धनवा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इमरान कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी निवासी मोहल्ला नई बाजार, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–348/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार।
02. हे0का0 विनोद सिंह।
03. हे0का0 रवि प्रकाश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।